

संख्या:2-13/2021 ई0एक्स0एन0-एच0-स्थापना- 3274-92
राज्य कर एवं आबकारी विभाग,
हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक:

आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी,
हिमाचल प्रदेश।

प्रेषित:

1. अति0/संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, (आबकारी जोन)
(द0 क्षे0)(उ0 क्षे0)(म0 क्षे0) शिमला/पालमपुर व मण्डी।
2. संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, (जी0एस0टी0 जोन)
(उ0द0)(द0 क्षे0)(उ0 क्षे0)(म0 क्षे0) परवाणू/पालमपुर व उना।
3. उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, जिला
शिमला/सोलन/बी0बी0एन0बददी/सिरमौर/बिलासपुर/हमीरपुर/नूरपुर/
कांगड़ा/चम्बा/कुल्लू/मण्डी व उना।
4. सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, जिला किनौर, स्थित पियो।

दिनांक:

शिमला-9

18/02 2025

विषय:
महोदय,

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बनाने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 10 प्रतिशत कोटे के माध्यम से वरिष्ठता के आधार पर लिपिक के पद पर पदोन्नति की जाती है जिस हेतु विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नवीनतम वरिष्ठता सूची बनाई जानी है।

अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आपके अधीन कार्यरत सभी नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थाई वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप देकर 10 दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।

इसके अतिरिक्त दसवीं व बाहरवीं पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के उक्त दोनों शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र सत्यापित कर व विभाग में नियमित तौर पर प्रथम उपस्थिति की तिथि का प्रमाण पत्र भी वरिष्ठता सूची के साथ संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि मुख्यालय स्तर पर संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जा सकें। वरिष्ठता सूची को सभी नियमों के अनुसार ही जारी करें अन्यथा नियमों के विपरित जारी करने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

निशांत कुमार (हि0प्र0से0)
संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, (प्रशा0/मु0),
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: 2-13/2021 ईएक्स0एन0एच0स्थापना- 3293

1. प्रतिलिपि आई0टी0 शाखा को इस आशय के साथ प्रेषित है कि इस पत्र को शीघ्र विभागीय साईट पर अपलोड किया जाए तथा सभी सम्बन्धित कार्यालयों को ई-मेल द्वारा भी भेजा जाए।

निशांत कुमार (हि0प्र0से0)
संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, (प्रशा0/मु0),
हिमाचल प्रदेश।
दूरभाष-न0 -2621635.